राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

''हाथकर्घा भवन'', चौमू हाउस, जयपुर

RHDC

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2021–2022

(शकुन्तला रावत)
मंत्री
उद्योग, राजकीय उपक्रम
एवं देवस्थान विभाग

(नायाब खान)
मुख्य महाप्रबन्धक

(दिनेश चन्द गुप्ता)
उप प्रबन्धक (योजना / विकास)

राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड,

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

"हाथकर्घा भवन", चौमू हाऊस, सी–स्कीम, जयपुर–302001

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2021–2022

राजस्थान स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कम्पनीज एक्ट 1956 के अन्तर्गत मार्च 1984 में की गई थी। निगम के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं:–

1. राजस्थान प्रदेश में हाथकर्घा उद्योग की उन्नति, सहायता, वृद्धि एवं विकास हेतु कार्य करना।
2. हाथकर्घा उद्योग को बढ़ाने के लिए उत्पादन, आपूर्ति, प्रोसेसिंग, भण्डारण, वितरण, बिक्री एवं अन्य आवश्यक कार्यों को हाथ में लेकर, कार्य करना।
3. प्रदेश एवं देश में हाथकर्घा वस्त्रों की थोक, खुदरा एवं कमीशन आधार पर, बिक्री के लिये आवश्यक कदम उठाना।
4. हाथकर्घा उद्योग से संबंधित सभी विषयों जैसे – कताई, बुनाई, रंगाई, प्रोसेसिंग, पैटर्न, डिजाइन, कशीदाकारी, छपाई, विपणन, लेखा एवं प्रबन्धन, के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिलाना और क्षेत्र की उन्नति हेतु सहायता करना।

निगम का संगठनात्मक ढांचा:–

राजस्थान सरकार के इस उपक्रम के संगठनात्मक ढांचे का विवरण **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा निगम के संचालक मण्डल में निम्न सदस्यों को नियुक्त किया हुआ है:–

• श्रीमती नेहा गिरि (आई.ए.एस.)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
• श्री शक्ति सिंह (आई.ए.एस.) (संयुक्त शासन सचिव, उद्योग)	सदस्य
• श्री बालमुकुन्द असावा (संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग)	सदस्य
• श्री नवीन महाजन (प्रबन्ध निदेशक, बुनकर संघ)	सदस्य
• श्री तपन शर्मा (उप निदेशक, बुनकर सेवा केन्द्र, भारत सरकार, जयपुर)	सदस्य
• श्री चिरंजीलाल (उप निदेशक उद्योग, उद्योग विभाग, जयपुर)	सदस्य

(दिनेश चन्द्र गुप्ता)
उप प्रबन्धक (योजना एवं विकास)

निगम के समस्त प्रशासनिक एवं सामान्य कार्यकलापों की देख–रेख, राज्य सरकार द्वारा पदस्थापित निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी) व राज्य सरकार के लेखा सेवा के अधिकारी तथा निगम में कार्यरत विभिन्न अधिकारीगण के द्वारा की जाती है।

निगम के अधिकारियों / कर्मचारियों के पदों का विवरण :–

पूर्व में निगम में 410 अधिकारी / कर्मचारी कार्यरत थे। निगम की खराब आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत समय–समय पर प्रशासनिक व्यय भार को कम करने के लिये विभिन्न प्रयासों यथा स्वैच्छिक सेवानिवृति, सेवायें अन्य विभागों / उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर देकर या सेवायें समायोजन करवाकर, कार्मिकों की संख्या कम की गई है। वर्तमान में निगम की कार्य परिधि में कुल 31 अधिकारी / कर्मचारी कार्यरत हैं, इसमें से 16 कार्मिक विभिन्न विभागों / उपक्रमों / संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं शेष कार्मिक निगम में सेवायें दे रहे हैं। उपरोक्तानुसार, 31 कार्मिकों के स्वीकृत पदों का वर्गवार विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्र. सं.	पदनाम	कार्यरत पदों की संख्या
1.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	1
2.	वित्तीय सलाहकार	1
3.	मुख्य महाप्रबन्धक	1
4.	उप महाप्रबन्धक	1
5.	प्रबन्धक	3
6.	उपप्रबन्धक	11
7.	वरिष्ठ सहायक	2
8.	निरीक्षक ग्रेड– द्वितीय	1
9.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	7
10.	जमादार	2
11.	सहायक	1
	योग	31

नोटः– उपरोक्त में निम्न पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा / राज्य लेखा--सेवा के अधिकारी (1–1 पद) प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं :–

I. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

II. वित्तीय सलाहकार

(दिनेश चन्द गुप्ता)
उप प्रबन्धक (योजना / विकास)

निगम के प्रमुख कार्यों का विवरण तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलोच्य वर्ष 2021–22 में प्रगति एवं उसकी विगत तीन वर्षों से तुलना :–

1. डिजाईन विकासः–
   (Design Development)

हाथकर्घा वस्त्र व्यवसाय में **डिजाईन एवं कलर पैर्टन** का महत्वपूर्ण स्थान है। नित–नये बदलते फैशन, **कलर–कम्बीनेशन एवं डिजाईन**, आज के फैशन–परस्त ग्राहकों की पहली मांग है। आम तौर पर एक डिजाईन पैर्टन को कोई भी ग्राहक दुबारा खरीदना पंसद नहीं करता है। इसी प्रकार एक महिला/पुरूष दूसरे से भिन्न डिजाईनों के वस्त्र उपयोग में लाना बेहतर समझता है। इस प्रकार **डिजाईन विकास** कपड़े के व्यवसाय में **बहुत अधिक महत्व** रखता है।

निगम द्वारा डिजाईन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बुनकरों, शिल्पियों एवं दस्तकारों से समन्वय करके एवं उन्हें नवीनतम फैशन एवं प्रचलन का ज्ञान, डिजाईन विशेषज्ञों के माध्यम से कराया जाता है। डिजाईन विकास के अन्तर्गत होने वाले कार्यों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे बुनकरों, शिल्पियों एवं दस्तकारों को व्यवसायिक लाभ मिलता है। वर्तमान आलोच्य वर्ष में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 250 नई डिजाईनें विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर रूपये 30 लाख व्यय किये जावेंगे।

2. तकनीकी उन्नयनः–
   (Skill Up-gradation)

वस्त्र व्यवसाय से सम्बद्ध बुनकरों, शिल्पियों, दस्तकारों को वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप कार्यदक्षता बढ़ाने की अत्यन्त आवश्यकता हैं। इस उद्योग की विशेष कार्य प्रकृति को देखते हुये, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में बुनाई, रंगाई एवं छपाई में बदलाव लाया जाना आवश्यक है। इस उद्योग में आये परिवर्तनों को देखते हुये, बुनकरों को बाजार की प्रतिस्पर्धा में सफल होने के योग्य बनाने के लिये, निगम ने यह कार्यक्रम जारी कर रखा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 25–25 बुनकरों/दस्तकारों के समूहों को सघन बुनकर क्षेत्रों में 15 दिवसीय कैम्प आयोजित कराकर, लाभान्वित किया जाता है। जिसमें वर्तमान बाजार मांग, फैशन इत्यादि को ध्यान में रखते हुये तकनीकी उन्नयन की दक्षता को प्रायोगिक/व्यवहारिक रूप से बढ़ाकर, बुनकरों को लाभान्वित कराया जाता है। वर्तमान आलोच्य वर्ष में 150 बुनकरों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

3. मेलों/प्रर्दशनियों में भागीदारीः–
   (Participation in Fairs & Exhibitions)

राजस्थान प्रदेश के परम्परागत, कलात्मक एवं फैशनेबल वस्त्र, न केवल राजस्थान बल्कि प्रदेश के बाहर के विभिन्न नगरों एवं क्षेत्रों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं तथा आर्कषण का मुख्य केन्द्र रहते हैं। बाहर से आने वाले पर्यटक भी राजस्थान के वस्त्रों में गहरी रूची रखते हैं। ऐसी स्थिति में मेले एवं प्रर्दशनियों में भागीदारी, हाथकर्घा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये बहुत अहम् एवं कारगर साबित होती हैं। यही नहीं प्रदेश के छोटे–छोटे वस्त्र उत्पादक बुनकर, ब्लॉक प्रिन्टर्स एवं

उप प्रबन्धक (योजना/विकास)

सम्बद्ध कारीगरों को, उनके उत्पादों की उचित दामों पर बिक्री व प्रर्दशन के लिये मेले तथा प्रर्दशनियां, एक अच्छा प्लेटफार्म हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के छोटे–छोटे कारीगर और बुनकर अपने स्तर पर मेलों एवं प्रर्दशनियों में भाग लेने में विभिन्न कारणों से समर्थ नहीं हैं। निगम द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत् प्रदेश के गरीब बुनकरों, प्रिन्टरों और कारीगरों को विपणन प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये निम्नानुसार मेलों एवं प्रर्दशनियों में भाग लिया जाता है :–

I. राष्ट्रीय स्तर के मेले एवं प्रर्दशनियां।
II. संभागीय स्तर के शहरों में आयोजित होने वाली प्रर्दशनियां/मेले।
III. जिला स्तरीय प्रर्दशनियाँ एवं मेले।
IV. वर्ष में आने वाले बड़े त्यौहारों पर उपयुक्त नगरों में आयोजित सेल एवं प्रर्दशनियां।

उपरोक्त मेलों/ प्रर्दशनियों में निगम के डिजाईन विकास एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत विकसित व नवउत्पादित भिन्न–भिन्न प्रकार के नये वस्त्रों को आधुनिक पद्धति से प्रर्दशन करते हुये, उपभोक्ताओं को **वाजिब दामों पर बिक्री हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।** इस कार्यक्रम से हाथकर्घा वस्त्रों के प्रचार–प्रसार एवं विपणन प्रोत्साहन में सहायता मिलती है। वर्तमान आलोच्य वर्ष में कोविड़–19 महामारी के कारण केवल 10 मेलें/ प्रदर्शनियों में भागीदारी करने का लक्ष्य है।

4. प्रचार–प्रसारः–
(Publicity)

निगम का अनुभव है कि आम लोगों एवं राजस्थान में आने वाले पर्यटकों को प्रदेश के परम्परागत हाथकर्घा उद्योग की विशेषताओं एवं प्रक्रियाओं (**बुनाई**, रंगाई, **छपाई** पद्धति) की पूरी जानकारी नहीं है। जबकि आज के मार्केटिंग युग में प्रचार–प्रसार ही प्रत्येक क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रमुख स्त्रोत माना जाता है।

प्रस्तावित कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथकर्घा वस्त्रों का उत्पादन मानव श्रम से कैसे होता हैं, हाथ से बुनाई, रंगाई–छपाई की प्रक्रियाऐं, बुनकर/दस्तकार किस तरह से करते हैं और हाथ से बुने हुये, हाथ से छपे हुये, प्राकृतिक रंगों **(वेजीटेबल कलर्स)** की क्या–क्या विशेषताऐं होती हैं, इनकी सदियों पुरानी बुनाई/छपाई कला की धरोहर को आम उपभोक्ताओं और पर्यटकों को बताने के लिये व्यापक प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाता है। इसके लिये निम्नानुसार विधियों के माध्यम से वर्ष के दौरान प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाता है :–

I. प्रिन्ट/ इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार।
II. विशेष पैकेजिंग करके प्रचार–प्रसार।
III. अन्य प्रचलित माध्यमों यथा बैनर, होर्डिंग, बल्क एस.एम.एस. आदि से प्रचार–प्रसार।

वर्तमान आलोच्य वर्ष में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रूपये 4 लाख का व्यय किया जावेगा।

(दिनेश ...)
उप प्रबन्धक (योजना/विकास)

5. **विपणन प्रोत्साहन हेतु वंचित बुनकरों के वस्त्रों की खरीदारी:–**
(Marketing Support to Deprived Weavers by Purchase of their Products)

प्रदेश के अनेकों स्थानों पर कार्यरत, अल्प पूँजी वाले बड़ी संख्या के बुनकर और दस्तकार ऐसी स्थिति में हैं, जो धनाभाव, संसाधनों एवं विषम परिस्थितियों के कारण अपने उत्पादों को वाजिब दामों पर तथा समय पर विक्रय नहीं कर पाते हैं। इससे उनके इस घरेलू और कुटीर उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रस्तावित कार्यक्रम उपरोक्त प्रकार के विपणन सुविधाओं के जरूरतमन्द बुनकरों/दस्तकारों/शिल्पियों से मौके पर, उनके उत्पाद वाजिब दामों पर खरीदकर, उन्हें विपणन प्रोत्साहन लाभ दिलाता है। इसके तहत् प्रदेश के दूर–दराज क्षेत्रों के बुनकरों, दस्तकारों, ब्लॉक प्रिन्टरों एवं कारीगरों से मौके पर ही उनके उत्पाद क्रय कर बुनकरों, दस्तकारों आदि को विपणन लाभ पहुंचाने की योजना है।

उपरोक्त कार्यक्रम से छोटे और आर्थिक दृष्टि से कमजोर बुनकर/दस्तकार, बुनाई रोजगार चलते रहने से और सीधे वाजिब दाम मिलने से लाभान्वित होते हैं। इस कार्यक्रम से परम्परागत व लुप्त होते जा रहे घरेलू उद्योग को बनाये रखने में सहयोग मिलता है तथा बुनकर/दस्तकार अन्यत्र रोजगार के लिये पलायन नहीं करते हैं। वर्तमान आलोच्य वर्ष में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 वंचित बुनकरों से उनके वस्त्र क्रय करने हेतु, रूपये 20 लाख व्यय किये जावेगें।

उपरोक्त योजनाओं/कार्यक्रमों की गत तीन वर्षों की प्रगति का तुलनात्मक विवरण **परिशिष्ट–2** पर अवलोकनार्थ संलग्न है।

विपणन व्यवस्था
(Marketing Arrangement)

राज्य के हाथकर्घा बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या उनके द्वारा उत्पादित वस्त्रों का समय पर एवं वाजिब दामों पर बिक्री नहीं हो पाना है। निगम अपने उद्देश्यों के अनुसार राज्य में विद्यमान विभिन्न वर्गों के बुनकरों द्वारा उत्पादित भिन्न–भिन्न प्रकार के हाथकर्घा वस्त्रों की बिक्री का कार्य कर रहा है। निगम की आय का प्रमुख स्त्रोत भी हाथकर्घा वस्त्रों की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय है। निगम दो तरह से हाथकर्घा वस्त्रों की बिक्री कार्य करता है। एक तो वे वस्त्र जो निगम अपने संसाधनों, इकाईयों एवं विभिन्न योजनाओं के तहत् तैयार (उत्पादन) कराता है, दूसरे वे वस्त्र जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित बुनकर/बुनकर सहकारी समितियां/बुनकर संस्थायें आदि अपने स्तर पर, स्वयं की पूँजी लगाकर वस्त्र तैयार करते हैं। इस प्रकार के वस्त्रों की बिक्री निगम कनसाईन्मेंट आधार पर करता है। इसमें निगम को कोई पूँजी नहीं लगानी पड़ती है, केवल विक्रय हेतु प्रशासनिक प्रबन्ध करने होते हैं। इस व्यवसाय से निगम को 10% शुद्ध आय प्राप्त होती है। वर्तमान में हाथकर्घा वस्त्रों की बिक्री, निगम निम्न माध्यमों से कर रहा है :–

(I) **इकाईयों के माध्यम से वस्त्रों की बिक्री :–**

निगम की राज्य भर में प्रधान कार्यालय जयपुर सहित 12 बिक्री इकाईयां एवं राज्य के बाहर एक इकाई कार्यरत हैं। जिनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के हाथकर्घा वस्त्रों की फुटकर एवं थोक दोनों ही प्रकार से बिक्री की जाती है।

(दिनेश चन्द गुप्ता)
उप प्रबन्धक (योजना/विकास)

इन इकाईयों द्वारा निगम के एवं सम्बद्ध बुनकर/बुनकर संस्थाओं के उत्पाद, निर्धारित दरों पर और राजकीय विभागों की मांग के वस्त्र, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर, विपणन किये जाते हैं। जनता में हाथकर्घा वस्त्रों को लोकप्रिय बनाने और वाजिब दामों पर जरूरतमन्द लोगों तक पंहुचाने के लिये समुचित प्रचार–प्रसार के साथ–साथ, समय–समय पर **25 प्रतिशत तक बिक्री छूट** का लाभ भी ग्राहकों को प्रदान किया जाता है।

(II) **मेलों/प्रदर्शनियों के माध्यम से वस्त्रों की बिक्री :–**

राजस्थान प्रदेश के हाथकर्घा बुनकरों/दस्तकारों/शिल्पियों के माध्यम से तैयार विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर दूर–दराज क्षेत्रों तथा बड़े शहरों तक पहुंचाने और प्रदेश के परम्परागत वस्त्रों के व्यापक विपणन प्रोत्साहन हेतु निगम हर वर्ष 40 से अधिक मेलों/प्रदर्शनियों का या तो आयोजन करता है अथवा सरकार एवं अन्य प्रोफेशनल मेला/प्रदर्शनी आयोजकों के साथ, उनके द्वारा आयोजित मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेकर, वस्त्रों का प्रदर्शन व विपणन कार्य करता है। इन मेलों एवं प्रदर्शनियों में भी **25 प्रतिशत तक बिक्री छूट** आम ग्राहकों को प्रदान करायी जाकर, विपणन प्रोत्साहन कार्य किया जाता है। इस व्यवस्था से, प्रदेश के अन्दर एवं प्रदेश के बाहर बड़े शहरों में व्यापक रूप से हाथकर्घा वस्त्रों को प्रचारित करने एवं लोकप्रिय बनाने के साथ–साथ, विपणन लाभ प्राप्त होता है।

उपरोक्त दोनों माध्यमों के जरिये माह **दिसम्बर**, 2021 तक **रूपये** 48.52 लाख मूल्य के वस्त्र बिक्री किये जा चुके हैं।

सार–संक्षेपः–

निगम जिन योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत् प्रदेश में हाथकर्घा वस्त्र उद्योग के प्रोत्साहन व विपणन हेतु कार्य कर रहा है। इससे प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के बुनकर, शिल्पी और दस्तकार लाभान्वित होते हैं। यही नहीं, प्रदेश में बाहर से आने वाले पर्यटक भी उक्त बुनकरों व कारीगरों के उत्पाद वाजिब दामों पर क्रय करते हैं। उल्लेखनीय है, कि **इस वर्ष विश्वव्यापी कोविड़–19 महामारी का निगम की गतिविधियों पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ा हैं।** वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह तक समस्त निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(दिनेश चन्द गुप्ता)
उप प्रबन्धक (योजना/विकास)

निगम की प्रशासनिक संरचना

राजस्थान सरकार

- संचालक मण्डल
  - अध्यक्ष
    - प्रबन्ध निदेशक
      - मुख्य महाप्रबन्धक
        - **क्षेत्रीय व्यवस्था**
          - **संभागीय प्रभारी, जयपुर**
            - इकाई प्रभारी, इन्दिरा बाजार, जयपुर
            - इकाई प्रभारी, अलवर
            - इकाई प्रभारी, आमेर (जयपुर)
          - **संभागीय प्रभारी कोटा**
            - इकाई प्रभारी, कोटा
          - **संभागीय प्रभारी, उदयपुर**
            - इकाई प्रभारी, जालौर
            - इकाई प्रभारी, उदयपुर
          - **संभागीय प्रभारी, अजमेर**
            - इकाई प्रभारी, भीलवाड़ा
            - इकाई प्रभारी, अजमेर
          - **संभागीय प्रभारी, जोधपुर**
            - इकाई प्रभारी, जोधपुर
          - **संभागीय प्रभारी, बीकानेर**
            - इकाई प्रभारी, बीकानेर
        - **मुख्यालय व्यवस्था**
          - **उप प्रबन्धक** (योजना एवं विकास, लीगल, कम्पनी सचिव तथा स्टोर्स)
          - **उप प्रबन्धक** (विपणन) एवं **उप प्रबन्धक** (संस्थापन)
          - **उप प्रबन्धक** (राजकीय आपूर्ति–I एवं अधिकारी राजकीय आपूर्ति II)
          - **शोरूम प्रभारी,** अहमदाबाद
      - वित्तीय सलाहकार
        - लेखाकार
        - कैशियर

(दिनेश चन्द गुप्ता)
उप प्रबन्धक (योजना / विकास)

परिशिष्ट– 2

विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलोच्य वर्ष में प्रगति

(राशि लाख रूपयों में)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष 2018–19 में दिसम्बर, 18 तक की प्रगति		वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 19 तक की प्रगति		वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 20 तक की प्रगति		वर्ष 2021–22 में दिसम्बर, 22 तक की प्रगति	
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
1.	डिजाईन विकास	22.60	135	0.40	–	0.35	8	–	–
2.	मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी	7.92	30	2.59	15	–	–	1.81	1
3.	प्रचार–प्रसार	1.38	–	–	–	–	–	–	–
4.	विपणन प्रोत्साहन हेतु वंचित बुनकरों के वस्त्रों की खरीददारी	6.84	37	–	–	–	–	–	–
5.	तकनीकी उन्नयन	–	–	–	–	–	–	–	–

नोटः– वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के दौरान कोविड़–19 महामारी होने के कारण उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन पर गहरा विपरीत प्रभाव पड़ा है। अब चालू वित्तीय वर्ष में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य पूर्ण करने हेतु कार्यवाही जारी है। मार्च, 2022 तक समस्त लक्ष्य पूर्ण कर लिये जायेगें।

(दिनेश ...)
उप प्रबन्धक (...)